



SUPREME AUDIT INSTITUTE OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

उत्तर प्रदेश सरकार के
वन विभाग के प्रभागों की कार्य प्रणाली पर
वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन
2023-24



उत्तर प्रदेश

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	5
2	संस्तुतियाँ	7
3	परिचयात्मक	9-12
4	मासिक रोकड़ लेखा की प्रस्तुति में विलम्ब (अनुलग्नक-1 एवं 2)	13
5	लेखों का मिलान (अनुलग्नक-3)	14-15
6	मासिक रोकड़ लेखे में सामान्य प्रकार की आपत्तियाँ (अनुलग्नक 4 से 6)	15-17
7	सा0भ0नि0 से संबंधित एवं ऋणात्मक अवशेष (अधिक भुगतान) के मामले (अनुलग्नक-7)	17-18
8	वन विभाग का वर्ष 2018-19 से वर्ष 2023-24 का तुलनात्मक आय-व्ययक विवरण (अनुलग्नक-8), लेखा परीक्षा द्वारा इंगित विसंगतियाँ एवं प्रतिकरात्मक वनरोपण अधिनियम-2016	19-21
9	अनुलग्नक 1-8	22-42

प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश राज्य के वन विभाग के प्रभागों की वर्ष 2023-24 के लेखों तथा कार्य प्रणाली की इस कार्यालय द्वारा की गयी समीक्षा का प्रतिवेदन प्रस्तुत है। इस कार्यालय द्वारा वन विभाग के 124 प्रभागों एवं 77 कोषागारों से प्राप्त लेखों का संकलन किया जाता है। इस समीक्षा का उद्देश्य वन विभाग के लेखों के रख-रखाव में गुणवत्ता एवं शुद्धता में सुधार लाना है। इस हेतु लेखों के रख-रखाव में परिलक्षित महत्वपूर्ण एवं सामान्य प्रकृति की अनियमितताओं को केन्द्रीभूत किया गया है।

हम यह अपेक्षा करते हैं कि प्रस्तुत समीक्षा वन विभाग को और अधिक कार्यदक्ष बनाये रखने के साथ भविष्य में अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने में प्रेरणादायी सिद्ध होगी। वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन में इंगित अनियमितताओं के सुधार हेतु वन विभाग को शासन स्तर से उचित निर्देश की भी अपेक्षा है।



(डा० सुरेन्द्र कुमार)

महालेखाकार

प्रयागराज
दिनांक : 21.01.2025

कार्यालय महालेखाकार (ले० एवं हक०)—द्वितीय
उ०प्र०, प्रयागराज

संस्तुतियाँ

महालेखाकार कार्यालय द्वारा तैयार किये जाने वाले राज्य के वित्त एवं विनियोग लेखे में वन विभाग के प्रभागों के व्यय एवं प्राप्ति के यथार्थ एवं सही आँकड़े सम्मिलित होने चाहिए। इसको दृष्टिगत रखते हुए प्रभागों द्वारा प्रेषित किये जाने वाले संकलित मासिक लेखों की समीक्षा की जाती है और परिणामों से सम्बन्धित प्रभागों को समय-समय पर अवगत कराया जाता है। इसी क्रम में प्रभागों के लेखों के सुधार एवं गुणवत्ता में वृद्धि की दृष्टि से राज्य शासन/विभागाध्यक्ष द्वारा प्रभागीय वनाधिकारियों को निम्नलिखित अनुदेश जारी किये जाने चाहिए।

1. वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-7 के प्रस्तर-201 के प्रावधानों के अन्तर्गत मासिक लेखे कार्यालय महालेखाकार को अनिवार्य रूप से निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
2. वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-7 के प्रस्तर-200 के प्रावधानों के अन्तर्गत मासिक लेखा शून्य होने की स्थिति में भी समस्त प्रपत्रों सहित लेखा प्रपत्र ई-7 पर महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
3. शासनादेश सं० बी-963/दस-2001 दिनांक 16.04.2001 एवं संख्या बी-1-3706/दस-2004 दिनांक 02.08.2004 में दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रत्येक प्रभाग को करेत्तर राजस्व प्राप्तियों को राजस्व पक्ष के सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा किया जाना चाहिए।
4. इस कार्यालय परिपत्र सं० व०स०प्र०/म०लेखा/356 दिनांक 11.12.2002 में निर्धारित अवधि तक प्राप्ति एवं व्यय के आँकड़ों का मिलान कराया जाना चाहिए।
5. मासिक लेखे के साथ समेकित कोषागार रसीद (CTR) एवं समेकित कोषागार निर्गमन (CTI) उपलब्ध कराना चाहिए।
6. पूर्व वर्षों के वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनों में महालेखाकार कार्यालय द्वारा उठाये गये बिन्दुओं का अनुपालन प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

**कार्यालय महालेखाकार (ले० एवं हक०)–द्वितीय उ०प्र०,
20, सरोजनी नायडू मार्ग**



प्रयागराज–211001,

दूरभाष :- 0532 – 2622625, 2622628

वर्ष 2023-24 की वन विभाग की कार्यप्रणाली पर समीक्षा :-

परिचयात्मक

वन विभाग की संरचना के अनुसार प्रधान प्रमुख वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश वन विभाग के प्रमुख हैं तथा वन विभाग के मामलों में राज्य सरकार के प्रमुख तकनीकी सलाहकार हैं। इनकी सहायता के लिए प्रमुख वन संरक्षक अनुश्रवण एवं कार्य योजना उ०प्र०, प्रमुख वन संरक्षक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण उ०प्र०, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव उ०प्र० लखनऊ है। इसके अतिरिक्त निम्न अपर प्रधान एवं मुख्य वन संरक्षक (प्रशासनिक इकाई के रूप में) हैं।


- (क) (1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य योजना अनुसंधान एवं प्रशिक्षण लखनऊ।
(2) अपर मुख्य वन संरक्षक/निदेशक राज्य वन अनुसंधान संस्थान कानपुर।
(3) अपर प्रमुख वन संरक्षक/निदेशक वानिकी प्रशिक्षण संस्थान कानपुर।
(4) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी उ०प्र० लखनऊ।
(5) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक परियोजना उ०प्र० लखनऊ।
(6) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सूचना प्रौद्योगिकी उ०प्र० लखनऊ।
(7) अपर प्रमुख वन संरक्षक जैव विविधता उ०प्र०, लखनऊ।
(8) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक लेखा परीक्षक एवं गैर योजना लखनऊ।
(9) अपर प्रमुख वन संरक्षक आगरा क्षेत्र।
(10) अपर प्रमुख वन संरक्षक प्रोजेक्ट टाइगर लखनऊ।
(11) अपर प्रमुख वन संरक्षक जलागम प्रबन्धन/ग्रीन इण्डिया मिशन लखनऊ।

- (ख) (1) मुख्य वन संरक्षक गोरखपुर मण्डल ।
(2) मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर मण्डल ।
(3) मुख्य वन संरक्षक लखनऊ मण्डल ।
(4) मुख्य वन संरक्षक कानपुर मण्डल ।
(5) मुख्य वन संरक्षक मध्य क्षेत्र लखनऊ ।
(6) मुख्य वन संरक्षक रुहेल खण्ड क्षेत्र बरेली ।
(7) मुख्य वन संरक्षक पश्चिमी क्षेत्र मेरठ ।
(8) मुख्य वन संरक्षक दक्षिणी क्षेत्र, प्रयागराज ।
(9) मुख्य वन संरक्षक परिस्थितिकीय विकास लखनऊ ।
(10) मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव लखनऊ ।
(11) मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्र निदेशक दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी ।
(12) मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव (पूर्वी) गोण्डा ।
(13) मुख्य वन संरक्षक बुन्देलखण्ड क्षेत्र झाँसी ।
(14) मुख्य वन संरक्षक पूर्वी क्षेत्र गोरखपुर ।
(15) मुख्य वन संरक्षक/वन वर्धनिक कानपुर ।
(16) मुख्य वन संरक्षक/वन वर्धनिक बरेली ।
(17) मुख्य वन संरक्षक/वन वर्धनिक वाराणसी ।
(18) मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन लखनऊ ।
(19) मुख्य वन संरक्षक संयुक्त वन प्रबन्ध लखनऊ ।
(20) मुख्य वन संरक्षक नियोजन लखनऊ ।
(21) मुख्य वन संरक्षक परियोजना उ०प्र० लखनऊ ।
(22) मुख्य वन संरक्षक (कोर्ट केस) लखनऊ ।
(23) मुख्य वन संरक्षक प्रशासन उ०प्र० लखनऊ ।
(24) मुख्य वन संरक्षक राज्य प्राणी उद्यान प्राधिकरण उ०प्र० लखनऊ ।
(25) मुख्य वन संरक्षक वित्त एवं लेखापरीक्षा लखनऊ ।
(26) मुख्य वन संरक्षक कैम्पा लखनऊ ।
(27) मुख्य वन संरक्षक भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त लखनऊ ।


- (28) मुख्य वन संरक्षक सुरक्षा एवं सतर्कता लखनऊ।
- (29) मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास) लखनऊ।
- (30) मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) लखनऊ अराजपत्रित।
- (31) मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) लखनऊ राजपत्रित।
- (32) मुख्य वन संरक्षक (प्रचार-प्रसार एवं जन सम्पर्क) लखनऊ।
- (33) मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी लखनऊ।
- (34) मुख्य वन संरक्षक (नीति विश्लेषण एवं समन्वय) लखनऊ।
- (35) मुख्य वन संरक्षक वन उपयोग अधिकारी, उत्पादन लखनऊ।
- (36) मुख्य वन संरक्षक (कोर्ट केस) प्रयागराज।

इस प्रकार वन विभाग में 32 वृत्त एवं 92 प्रभागों सहित कुल 124 वृत्तों/प्रभागों से मासिक लेखे प्राप्त होते हैं।

कोषागार से प्राप्त मासिक लेखे (कोषागार प्रणाली) का फ्लो चार्ट



प्रभागों से प्राप्त मासिक लेखे (DCL) का फ्लो चार्ट



वन एवं वन्य जीव विभाग में CCL प्रणाली का कोषागार प्रणाली में परिवर्तन

प्रदेश के वन एवं वन्य जीव विभाग में पूर्व में अधिष्ठान मदों का संचालन कोषागार प्रणाली के माध्यम से तथा अधिष्ठान मदों से भिन्न कार्य मदों के व्यय CCL प्रणाली से आच्छादित थे। उ0प्र0शासन वित्त (लेखा) अनुभाग-2 संख्या 1/2020/ए-2-118/दस 2020-10(9)/95 दिनांक 18.03.2020 के कार्यालय ज्ञाप द्वारा 01.04.2020 से वन एवं वन्य जीव विभाग के कार्य मदों के व्यय को भी कोषागार प्रणाली से आच्छादित करने का निर्णय लिया गया तथा वन एवं वन्यजीव विभाग की जमा साख सीमा (DCL) की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन न करते हुये यथावत रखने का निर्णय लिया गया।

वार्षिक समीक्षा का उद्देश्य –

वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन का उद्देश्य वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा प्रेषित मासिक लेखे एवं कोषागार से प्राप्त उक्त विभाग के मासिक लेखे की समीक्षा कर उनमें व्याप्त विसंगतियों का संक्षिप्त विवरण तैयार कर उचित सुधार हेतु कार्यालय स्तर पर प्रयत्न करना तथा संबन्धित विभाग के उच्च अधिकारियों को व्याप्त विसंगतियों से अवगत कराना तथा सुधार हेतु आवश्यक प्रयत्न करना तथा प्रोत्साहित करना है।

वन विभाग की लेखाकार्य प्रणाली पर वर्ष 2023-24 की वार्षिक समीक्षा के मुख्य बिन्दु:-

1. (अ) मासिक रोकड़ लेखा की प्रस्तुति में विलम्ब

वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-7 के पैरा 201 के अनुसार किसी भी वृत्त/प्रभाग का मासिक लेखा अगले माह की अधिकतम 10 तारीख तक तथा माह मार्च का लेखा 15 अप्रैल तक महालेखाकार कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए। विलम्ब की स्थिति में आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा विलम्ब के कारण सूचित करना चाहिए परन्तु समीक्षा में पाया गया कि विलम्ब के कारणों को किसी भी आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सूचित नहीं किया गया।

वर्ष 2023-24 में अधिकांश लेखों के प्राप्त होने में एक से दस दिनों का विलम्ब हुआ। दस दिन तक विलम्ब से प्राप्त होने वाले लेखों को विशेष प्रयास द्वारा उसी माह के लेखे में सम्मिलित किया गया। ऐसे मासिक लेखों की स्थिति **अनुलग्नक-1** में दी गयी है।

इसके अतिरिक्त कुछ प्रभागों के मासिक लेखे वित्तीय वर्ष में 4 अथवा अधिक माहों में विलम्ब से प्राप्त हुए हैं। ऐसे मासिक लेखों की स्थिति **अनुलग्नक-2** में संलग्न हैं।

(ब) लेखों का मिलान

शासनादेश सं० ए-2-47/दस-97-10(9)95 दिनांक 03 मार्च 1997 के अनुसार अधिष्ठान मदों के व्यय का संचालन कोषागार प्रणाली से आच्छादित किया गया एवं वन विभाग के कार्यमदों के व्यय को पूर्व की भाँति सी०सी०एल० प्रणाली से ही किया जाता था। शासनादेश सं०-1/2020ए-2-118/10-2020-10(9)/95 दिनांक 18 मार्च 2020 के अनुसार अप्रैल-2020 से वन विभाग के कार्यमदों के व्यय का संचालन सी०सी०एल० प्रणाली से मुक्त करते हुए समस्त व्ययों का संचालन अन्य विभागों में प्रचलित ऑनलाइन बजट आवंटन व कम्प्यूटरीकृत कोषागार प्रणाली से आच्छादित कर दिया गया। इस प्रकार जमा साख सीमा के अन्तर्गत होने वाले व्यय के आँकड़ों का मिलान प्रभागों द्वारा कराया जायेगा एवं ऑनलाइन बजट आवंटन व कम्प्यूटरीकृत कोषागार प्रणाली के तहत किये जाने वाले व्यय के आँकड़ों का मिलान नियन्त्रक अधिकारी द्वारा कराया जायेगा।

(i) जमा साख सीमा के अन्तर्गत व्यय के आँकड़ों का मिलान :-

वन विभाग के समस्त वृत्त/प्रभागों द्वारा जमा साख सीमा के अन्तर्गत आय/व्यय के आँकड़ों का मिलान इस कार्यालय की वेबसाइट <http://cag.gov.in/ae/allahabad-ii/en> पर अपलोड किये किये गये आँकड़ों से प्रत्येक तिमाही करने की प्रक्रिया निर्धारित है तथा आँकड़ों के मिलान के उपरान्त किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में इस कार्यालय को भिन्नता सम्बन्धी आँकड़े पूर्ण साक्ष्य सहित अन्तरण प्रविष्टि के माध्यम से प्रेषित किये जाने चाहिए ताकि इस कार्यालय में भी अन्तरण प्रविष्टि के माध्यम से लेखे में सुधार किया जा सके एवं भिन्नता न होने की स्थिति में भी इस कार्यालय को व्यय के आँकड़ों सहित मिलान किये जाने की सूचना प्रेषित करना चाहिए ताकि लेखा मिलान प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सके। किन्तु कई वनाधिकारियों द्वारा लेखों की भिन्नता/मिलान सम्बन्धी कोई टिप्पणी इस कार्यालय को प्रेषित नहीं की गयी। डी०सी०एल० आँकड़ों का मिलान न प्रेषित करने वाले प्रभागों की स्थिति **अनुलग्नक-3** में संलग्न है।

अतः नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ समस्त वृत्त/प्रभागों के सम्बन्धित लेखाकारों/वरिष्ठ सहायकों को निर्देशित किया जाना अपेक्षित है कि त्रैमासिक आधार पर इस कार्यालय की वेबसाइट <http://cag.gov.in/ae/allahabad-ii/en> पर अपलोड किये गये पुस्तांकित आँकड़ों से विभागीय आँकड़ों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मिलान करने के पश्चात निर्धारित प्रारूप में मिलान सम्बन्धी सूचना इस कार्यालय को प्राथमिकता के आधार पर प्रेषित करें।

(ii.) कोषागार प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्त लेखों का मिलान :-

शासनादेश सं० ए-2-47/दस-97-10(9) 95 दिनांक 03 मार्च 1997 के अनुसार वन एवं वन्य जीव विभाग के अधिष्ठान मदों एवं शासनादेश सं०-1/2020/ए-2-118/दस-2020-10(9)/95 दिनांक 18.03.2020 के अनुसार दिनांक 01.04.2020 से कार्यमदों हेतु भी ऑनलाइन बजट आवंटन व कम्प्यूटरीकृत कोषागार प्रणाली लागू कर दी गयी है जिसके अन्तर्गत उ०प्र०, बजट मैनुअल के प्रस्तर-124 के अनुसार कोषागार से प्राप्त वन विभाग के लेखे कार्यालय महालेखाकार द्वारा पुस्तांकित किये जायेंगे एवं महालेखाकार कार्यालय में पुस्तांकित आँकड़ों से विभाग के आँकड़ों का मिलान नियन्त्रक अधिकारी द्वारा कराया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में वन विभाग के नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा अनुदान संख्या 10, 60, 81, 83 के अन्तर्गत व्यय लेखाशीर्ष 2406, 2407, 4406 एवं प्राप्ति लेखाशीर्ष "0406" के आँकड़ों का महालेखाकार कार्यालय की वेबसाइट <http://www.cag.gov.in/ae/allahabad-ii/en> पर अपलोड आँकड़ों से मिलान कर इस कार्यालय को सूचित किया गया।

2. मासिक रोकड़ लेखों में पायी गयी सामान्य प्रकार की आपत्तियाँ –

(अ) त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

समीक्षा में पाया गया है कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा मासिक लेखों में पूर्ण वर्गीकरण एवं विवरण नहीं दिया जाता है तथा कहीं-कहीं पर अस्पष्ट विवरण के साथ त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण दिया जाता है। मासिक लेखा एवं उससे संबन्धित सभी अभिलेखों पर पूर्ण विवरण एवं सम्पूर्ण वर्गीकरण अंकित किया जाना अपेक्षित है।

(ब) अन्य सामान्य प्रकार की आपत्तियाँ –

1. मासिक लेखा तैयार करते समय इस कार्यालय द्वारा प्रभागों को आवंटित कोड संख्या (FRD CODE) भी अवश्य **BOLD** Letters में लिखा जाना चाहिए किन्तु कुछ प्रभागों द्वारा FRD CODE अंकित नहीं किये जाते हैं।
2. मासिक लेखे के साथ निम्नलिखित प्रपत्र (I) ई-6 (II) ई-11, (III) ई-13 (IV) ई-23 (V) ई-11(A), (VI) ई-14, (VII) ई-24 संलग्न नहीं किये जाते हैं।
3. मासिक लेखे के साथ प्रेषित प्रपत्र में अंकित विवरण सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किये जाते हैं।
4. वर्गीकृत सार में दिये विवरणों के अनुसार प्रमाणक संलग्न नहीं किये जाते हैं।
5. वर्गीकृत सार में ए०जी० प्रमाणक संख्या एवं सारांश का विवरण अंकित नहीं किये जाते हैं।
6. व्यय के सारांश के अन्त में सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये जाते हैं।
7. मासिक लेखा प्रपत्र ई-7 पर नहीं तैयार किये जाते हैं।

8. वन प्रेषण (पार्ट-01) के अन्तर्गत जमा चालानों की सूची/चालान मासिक लेखे के साथ नहीं प्रेषित किये जाते हैं।
9. मासिक लेखे के साथ समेकित कोषागार रसीद (CTR) एवं समेकित कोषागार निर्गमन (CTI) नहीं प्रेषित किये जाते हैं।
10. माह के दौरान प्रपत्र ई-13 लेजर में असमायोजित धनराशि का स्पष्टीकरण प्रेषित नहीं किया जाता है।
11. मासिक लेखे ई-मेल से प्राप्त होते हैं किन्तु मूल लेखे समस्त प्रमाणकों सहित समय सीमा के अन्तर्गत प्राप्त नहीं होते हैं।

विवरण **अनुलग्नक-4** पर प्रदर्शित हैं।

(स) बृहतपत्र सम्बन्धी त्रुटियाँ :-

(i) वन जमा बृहतपत्र सम्बन्धी त्रुटियाँ :-

2023-24 में लेखाशीर्ष "8443" वन जमा के वृहत पत्र में विभिन्न प्रभागों में अन्तिम अवशेष ऋणात्मक है जबकि वन जमा शीर्ष के अन्तर्गत ऋणात्मक अवशेष नहीं होना चाहिए। ऋणात्मक अवशेष के सम्बन्ध में मासिक रोकड़ लेखों की समीक्षा में पाया गया कि फार्म-E-11(A) का समेकित सार कुछ प्रभागों द्वारा नहीं प्रेषित किया जाता है जिससे माह के प्रारम्भ में लेखाशीर्ष "8443" का कुल प्रा० अवशेष व माह के अन्त में कुल अन्तिम अवशेष ज्ञात नहीं हो पाता जिससे कि वृहत पत्र में दर्ज अवशेषों से मिलान किया जा सके। वृहत पत्र में ऋणात्मक अवशेषों का निराकरण किया जाना अपेक्षित है। वन जमा ऋणात्मक अवशेष दर्शाने वाले प्रभागों की सूची **अनुलग्नक-5** में संलग्न है।

(ii) वन अग्रिम बृहतपत्र सम्बन्धी त्रुटियाँ :-

2023-24 में लेखाशीर्ष 8550-00-101 वन अग्रिमों के वृहतपत्र में भी विभिन्न प्रभागों में वित्तीय वर्ष अन्तिम अवशेष ऋणात्मक है जबकि वन अग्रिम शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम अवशेष ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। जिन प्रभागों में वन अग्रिम के वृहतपत्र में अन्तिम अवशेष ऋणात्मक प्रदर्शित हो रहे हैं उन प्रभागों से उन माहों के मासिक रोकड़ लेखों की द्वितीय प्रति मंगाई जा सकती है जिन माहों से ब्रॉडशीट का अन्तिम शेष ऋणात्मक प्रारम्भ हुआ है ताकि अन्तिम अवशेष ऋणात्मक होने के कारणों का पता कर उनका निराकरण किया जा सके। वन अग्रिम ऋणात्मक अवशेष दर्शाने वाले प्रभागों की सूची **अनुलग्नक-6** में संलग्न है।

(iii) वन प्रेषण लेखाशीर्ष सम्बन्धी त्रुटियाँ :-

लेखाशीर्ष 8782-नकद प्रेषण-00-103-वन प्रेषण-01-कोषागार में प्रेषण के अन्तर्गत धनराशि डेबिट की जाती है जबकि यह धनराशि कोषागार के लेखे में क्रेडिट की जाती है। इसी प्रकार प्रभागों के लेखे में लेखाशीर्ष 8782-नकद प्रेषण-00-103-वन प्रेषण-02-वन चेक्स/ई-टोकन के अन्तर्गत धनराशि क्रेडिट की जाती है जबकि चेक्स/ई-टोकन की भुगतान की धनराशियों को कोषागार अपने लेखे में डेबिट करता है।

वन प्रेषण शीर्ष के अन्तर्गत लम्बित धनराशियों के समाधान हेतु वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 (भाग-2) के प्रस्तर 638(ख) तथा प्रस्तर 648 के प्रावधानों के अनुसार कोषागारों द्वारा प्रभागीय वनाधिकारियों को प्रत्येक माह के अनुगामी माह की चार तारीख तक समेकित कोषागार रसीद (CTR) तथा समेकित कोषागार निर्गमन (CTI) उपलब्ध कराया जाना चाहिए तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 (भाग-2) के प्रस्तर-650 एवं शासनादेश सं0 ए-2-1967/दस-सासी-83/14(6)/183 दिनांक 15.07.1983 के प्रावधानों के अनुरूप कोषाधिकारी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारियों से उनके समस्त प्रेषणों की मासिक समाधान की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ई-पेमेन्ट प्रणाली लागू होने के पश्चात लेखाशीर्ष 8782 में अनिस्तारित धनराशियों के निस्तारण में प्रगति पायी गयी है जबकि पूर्व की डेबिट एवं क्रेडिट दोनों ही पक्षों की धनराशियाँ अनिस्तारित हैं।

अतः उपरोक्त लेखाशीर्ष में अनिस्तारित धनराशियों के निस्तारण सहित प्रत्येक मासिक लेखे के साथ (CTR) एवं (CTI) की प्रति संलग्न करने हेतु विभागाध्यक्ष द्वारा प्रभागीय वनाधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किये जाने की आवश्यकता है।

3. वन विभाग से संबंधित सामान्य भविष्य निधि के विषयक:-

(अ) नये सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या का आवंटन :-

वर्ष 2023-24 में सामान्य भविष्य निधि में माह 04/2023 से 03/2024 तक कुल-40 नये कर्मचारियों/अधिकारियों को खाता संख्या आवंटित किया गया। ये अभिदाता वर्ष 2005 से पूर्व सेवा में आये हैं, तथा चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति के उपरान्त सा0भ0नि0 खाता संख्या आवंटित किये गये हैं।

(ब) अंतिम भुगतान सामान्य भविष्य निधि के मामले :-

शासनादेश संख्या एस0ए0-4-ए0जी0 57/तीन-84 दिनांक 5.10.1984 के अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारियों को आगामी एक वर्ष छः माह में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूची महालेखाकार कार्यालय को भेजनी चाहिए तथा उनकी पासबुक का मिलान महालेखाकार कार्यालय के अभिलेखों से कराना चाहिए। कुछ मामलों में पासबुक के मिलान की कार्यवाही सेवानिवृत्त से पूर्व नहीं की जा रही है। इसके अतिरिक्त अभिदाताओं की पासबुक में कॉलम तीन एवं चार में क्रमशः कोषागार वाउचर संख्या एवं दिनांक तथा वाउचर की धनराशि की प्रविष्टि नहीं की जा रही है। वर्ष के दौरान कर्मचारियों द्वारा लिये गये आहरण/अग्रिम लेने अथवा नहीं लेने की दशा में स्पष्ट प्रविष्टि पासबुक के डेविट कालम में की जानी चाहिए तथा उसका सत्यापन भी आहरण वितरण अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए।

वर्ष 2023-24 में अंतिम भुगतान के कुल 369 प्रकरण प्राप्त हुये जिसमें से 362 प्रकरणों को दिनांक 31.03.2024 तक आवश्यक कार्यवाही के पश्चात निस्तारित कर दिया गया।

(स) सा0भ0नि0 से संबंधित ऋणात्मक अवशेष (अधिक भुगतान) के मामले :-

शासनादेश संख्या जी0-4/ए0जी0/57/तीन-84510-84 दिनांक 26.12.84 के अनुसार आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा अभिदाताओं की पासबुक का महालेखाकार कार्यालय के अभिलेखों से मिलान कराये बिना अभिदाताओं के खातों में जमा राशि का 90% भुगतान कर दिया गया तथा शेष 10% धनराशि के भुगतान हेतु प्रकरण भेजे गये हैं। वर्ष 1991-92 से 2023-24 तक शेष 20 प्रकरणों में अभी रू0 350159/- की वसूली होनी है जिसके लिये शासन स्तर एवं प्रमुख वन संरक्षक स्तर पर पत्राचार किया गया है। **अनुलग्नक-7** पर ऋणात्मक प्रकरणों की सूची प्रस्तुत है। संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों को वसूली हेतु निर्देश निर्गत होना अपेक्षित है।

(द) चतुर्थ श्रेणी एवं भारतीय वन सेवा के अतिरिक्त वन विभाग के कर्मचारियों (जिनके सा0भ0नि0 खातों में अन्तर हो) के सामान्य भविष्य निधि खातों को अद्यतन करने हेतु पासबुक की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से पत्राचार किया गया परन्तु विभाग द्वारा इस कार्य में कोई रुचि नहीं ली गयी। इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश समस्त आहरण/वितरण अधिकारियों को जारी किये जाने की आवश्यकता है।

(च) प्रत्येक माह कुछ तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के सा0भ0नि0 खाता संख्या शिडयूल में गलत लिखे या अंकित नहीं होते हैं जिससे इन अभिदाताओं का मासिक अभिदान उनके सही

खाते में अंकित नहीं हो पाता है तथा अनिस्तारित धनराशि पड़ी रहती है । सा0भ0नि0 अशंदान की राशि अभिदाता के सही खाते में अंकित हो, इस सम्बन्ध में आहरण/वितरण अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाना अपेक्षित है।

4. तुलनात्मक आय-व्यय विवरण –

वन एवं वन्य जीव विभाग का वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक तुलनात्मक आय-व्यय विवरण अनुदान वार एवं मद वार तैयार किया गया तथा देखा गया कि अधिकांश मद में विभाग द्वारा आवंटित बजट से कम व्यय किया गया है। तुलनात्मक आय-व्यय विवरण **अनुलग्नक-8** में संलग्न है।

5. लेखा परीक्षा द्वारा इंगित विसंगतियाँ –

1. केन्द्रीय लेखा परीक्षा में पायी गयी आम किस्म की अनियमितताएं श्रमिकों के भुगतान से सम्बन्धित हैं तथा अधिकारियों/कर्मचारियों की आयकर/भविष्य निधि की कटौती से सम्बन्धित हैं।
2. वर्ष 2023-24 में कुल 82 आपत्तियों का जवाब मांगा गया था जिसमें से 18 आपत्तियों का ही जवाब प्राप्त हुआ।
3. वन मण्डलों की स्थानीय लेखा परीक्षा (वर्ष 2023-24) की महत्वपूर्ण अनियमितताओं की सूची-

लेखा परीक्षा में पायी गयी आम किस्म की अनियमितताओं का विवरण

- (i) लीज डीड निष्पादित न किये जाने से लीज प्रीमियम एवं लीज रेंट की वसूली अप्राप्त रहना।
- (ii) शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि वसूल न किया जाना एवं कम आरोपित किया जाना।
- (iii) वन जमा निधि में वृक्षारोपण न करके धनराशि अवरुद्ध रखना।
- (iv) वन अपराध/एच-2 प्रकरणों के निस्तारण में विलम्ब के कारण राजस्व वसूल नहीं होना।
- (v) Centage Charges अधिरोपित न किया जाना।
- (vi) राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति में कमी।
- (vii) वन भूमि के रूप में घोषित भूमि का बन्दोबस्त न होना।
- (viii) वन भूमि के अतिक्रमण को खाली न कराया जाना।
- (ix) वित्तीय वर्ष के अन्तिम तिमाही एवं मार्च में निर्धारित सीमा से अधिक व्यय।

6. प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम-2016 :-

केन्द्रीय सरकार के प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम-2016 की अधिसूचना जारी होने के पश्चात, राज्य निधि के प्रावधान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 4(1) के तहत राज्य प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि की स्थापना की गयी जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण के पास राज्य के निक्षेप से प्राप्त धनराशि की 90% धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा मुख्य लेखाशीर्ष 8336-सिविल निक्षेप लघुशीर्ष 102-राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वन रोपण निक्षेप से राज्य के लोक लेखा में मुख्य लेखाशीर्ष 8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ लघुशीर्ष 129-राज्य प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि में अगस्त-2019 में सर्वप्रथम रू0 18196267880.00 (अट्ठारह अरब उन्नीस करोड़ बासठ लाख सरसठ हजार आठ सौ अस्सी मात्र) स्थानान्तरित किया गया।

उक्त अधिनियम के अनुसार राज्य निधि में अवशेष धनराशि अव्यपगत होगी और वर्षानुवर्ष आधार पर राज्य सरकार द्वारा घोषित दर के अनुसार ब्याज प्राप्त करेगी।

निधि से व्यय हेतु वन एवं वन्य जीव विभाग के अनुदान में लेखाशीर्ष 2406-04-103 के सम्बन्धित उपशीर्ष में बजट का प्रावधान तथा निधि (मुख्य शीर्ष 8121-129-राज्य प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि) से लेखा समायोजन हेतु अनुदान के लेखाशीर्ष 2406-04-904 के सम्बन्धित उपशीर्ष में ऋणात्मक डेबिट हेतु समतुल्य धनराशि का प्रावधान किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू0 6231.54 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू0 25205.58 लाख के व्यय लेखाशीर्ष 2406-04-103-03 के अन्तर्गत इस कार्यालय द्वारा पुस्तांकित किया गया। कैम्पा कार्यालय लखनऊ के पत्रांक 745/2-37-2 दिनांक 27.02.2023 द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित 3% वार्षिक दर को पुनः संशोधित करते हुए 5.5% किया गया जिस पर अवशेष ब्याज की राशि रू0 263860559.00 एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु 3.4% वार्षिक की दर से आगणित ब्याज की धनराशि रू0 572045698.00 को राज्य प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि में जमा किये जाने हेतु प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक योजना एवं कृषि वानिकी उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 431/36-बी0-8 (कैम्पा)/2022-23 दिनांक 25.01.2023 द्वारा उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया गया है। शासन द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु 3.4% तथा वर्ष 2021-22 और 2022-23 हेतु 3.35% वार्षिक ब्याज निर्धारित किया गया है। वर्ष 2023-24 में कैम्पा मद हेतु ब्याज दर निर्धारण के सम्बन्ध में कोई भी शासनादेश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

एड-हॉक कैम्पा भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा उ0प्र0 कैम्पा को बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि जो दिनांक 31.03.2021 तक व्यय नहीं की गई थी, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र दिनांक 15.07.2020 के क्रम में मय ब्याज सहित रू0 3645.75 लाख चालान द्वारा 25.11.2021 को राज्य प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि उ0प्र0 में जमा करायी गयी जिसके उपरान्त निधि के अन्तर्गत कुल अन्तरित की गई धनराशि रू0 185608.43 लाख हो गयी।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू0 35895.28 लाख, वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 23174.42 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू0 16683.89 लाख के व्यय लेखाशीर्ष 2406-04-103-03 के अन्तर्गत इस कार्यालय में पुस्तांकित किये गये। वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस मद में अवशेष राशि पर 3% वार्षिक दर पर ब्याज की राशि रू0 316632670.00 का आगणन कर राज्य प्रतिकारात्मक वन रोपण निधि उ0प्र0 में वित्तीय वर्ष 2022-23 के माह 03/2023 में चालान द्वारा जमा किया गया। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के स्वीकृति आदेश F.NO. 11-100/2015-FC/N दिनांक 10.01.2024 के अनुसार रू0 4673475346 को उ0प्र0 कैम्पा निधि में लेखा माह 02/2024 में स्थानांतरित किया गया। इस प्रकार वर्ष 2023-24 का प्रारम्भिक अवशेष 982.68 करोड़, प्राप्ति 467.35 करोड़, व्यय 166.84 करोड़ तथा अन्त शेष 1283.19 करोड़ है।

उ0प्र0 कैम्पा, लखनऊ के पत्रांक 977 दिनांक 16 मई 2024 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के ब्याज संशोधन के फलस्वरूप अवशेष ब्याज धनराशि रू0 263860559.00 , वर्ष 2020-21 हेतु धनराशि रु 572045698/- तथा वर्ष 2021-22 हेतु धनराशि रु 475394761/- इस प्रकार कुल धनराशि रु 1311301019/- राज्य प्रतिकारात्मक वन रोपण निधि में जमा कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में प्रावधानित है। इस प्रकार वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक निधि में अवशेष धनराशि पर देय ब्याज की धनराशि अभी तक राज्य प्रतिकारात्मक वन रोपण निधि में जमा नहीं की गयी हैं।

वर्ष 2023-24 में अन्य व्यय के साथ-साथ कैम्पा निधि से व्यय की गयी धनराशि का इस कार्यालय में पुस्तांकित धनराशि से नियन्त्रक अधिकारी द्वारा मिलान कराया गया।

अतः यह अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक वर्ष व्यय की गयी धनराशि का नियन्त्रक अधिकारी द्वारा प्रत्येक तिमाही मिलान कराया जाना जारी रखा जाए एवं अवशेष धनराशि पर वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज दर से ब्याज की गणना कर राज्य प्रतिकारात्मक वन रोपण निधि में जमा कराया जाए।

वर्ष 2023-24 में अति विलम्ब से मासिक लेखे प्रेषित करने वाले प्रभागों की सूची
(माह की 15 तारीख अथवा उसके बाद प्राप्त हुए मासिक लेखे)

क्रम सं०	कोड	प्रभाग का नाम	माह						
1	011	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग फतेहपुर	05/23						
2	021	प्रभागीय वनाधिकारी वन संसाधन सर्वेक्षण प्रभाग उ०प्र० लखनऊ	04/23						
3	043	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग उन्नाव	11/23						
4	045	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन्य एवं वन जीव प्रभाग हरदोई	11/23						
5	046	प्रभागीय वनाधिकारी उत्तर खीरी वनप्रभाग/उपनिदेशक (बफर जोन) दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी	12/23						
6	051	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग आजमगढ़	11/23						
7	052	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बलिया	07/23	03/24					
8	061	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा	07/23						
9	062	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मैनपुरी	05/23	07/23	08/23	12/23	01/24	02/24	03/24
10	063	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मथुरा	03/24						
11	064	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग एटा	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	12/23	
12	067	प्रभागीय वनाधिकारी हाथरस वन प्रभाग हाथरस	07/23						
13	071	प्रभागीय वनाधिकारी हमीरपुर	05/23	07/23	11/23	12/23			
14	073	उप वन संरक्षक झाँसी वन प्रभाग झाँसी	04/23						
15	084	प्रभागीय वनाधिकारी पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत	10/23						
16	112	उपनिदेशक दुधवा टाइगर रिजर्व पलिया खीरी	05/23						
17	151	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग बस्ती	04/23						

18	153	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग देवरिया	04/23	03/24					
19	156	निदेशक शहीद अशाफाक उल्लाह खाँ प्राणी उद्यान गोरखपुर	11/23						
20	191	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग कानपुर	04/23						
21	194	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग कानपुर देहात	05/23						
22	221	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुरादाबाद	04/23	07/23					
23	222	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर	04/23	05/23	06/23	07/23			
24	224	प्रभागीय वनाधिकारी बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद	04/23	03/24					
25	225	प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग अमरोहा	05/23	12/23					
26	226	प्रभारी वनाधिकारी संभल	07/23	08/23	12/23	03/24			
27	253	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बुलंदशहर	12/23	03/24					
28	254	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग सहारनपुर	05/23						
29	343	प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन वर्धनिक दक्षिण क्षेत्र उ०प्र० कानपुर	05/23						
30	344	मुख्य वन संरक्षक/वन वर्धनिक विध्यक्षेत्र रामनगर वाराणसी	03/24						
31	371	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग अयोध्या	04/23						
32	373	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग अम्बेडकरनगर	07/23						
33	374	प्रभागीय वनाधिकारी गोंडा वन प्रभाग गोंडा	04/23	12/23					
34	375	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग सुल्तानपुर	04/23						
35	377	प्रभागीय वनाधिकारी श्रावस्ती वन प्रभाग श्रावस्ती	04/23						
36	411	प्रभागीय वनाधिकारी मिर्जापुर वन प्रभाग मिर्जापुर	04/23	05/23	07/23	10/23			
37	412	प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र	04/23	05/23					
38	415	प्रभागीय वनाधिकारी भदोही वन प्रभाग भदोही	03/24						
39	421	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग वाराणसी	03/24						

40	452	वन संरक्षक/निदेशक कानपुर प्राणी उद्यान कानपुर	05/23	06/23	07/23				
41	521	प्रभागीय वनाधिकारी सोहगीबरवा वन्य जीव प्रभाग महाराजगंज	06/23						
42	571	प्रभागीय वनाधिकारी कासगंज वन प्रभाग कासगंज	04/23	06/23					
43	C01	वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी वृत्त प्रयागराज	04/23						
44	C04	मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी अवध क्षेत्र लखनऊ	04/23	05/23	07/23	10/23			
45	C07	वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक बुंदेलखण्ड वृत्त झाँसी	04/23	05/23					
46	C08	वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक वन एवं वन्य जीव बरेली वृत्त बरेली	07/23	10/23					
47	C11	मुख्य वन संरक्षक एवं फील्ड डायरेक्टर दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी	06/23						
48	C19	मुख्य वन संरक्षक कानपुर मण्डल कानपुर	11/23						
49	C23	मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन उ०प्र० लखनऊ	03/24						
50	C27	प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ०प्र० लखनऊ	04/23	09/23					
51	C31	मुख्य वन संरक्षक प्रचार प्रसार लखनऊ	04/23						
52	C34	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान उ०प्र० कानपुर	05/23						
53	C35	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक योजना एवं कृषि वानिकी उ०प्र० लखनऊ	04/23						
54	C39	प्रभागीय निदेशक प्रशिक्षण सूचना रेपोर्टिंग लखनऊ	04/23	07/23	03/24				
55	C41	मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर	08/23	03/24					
56	C45	प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव उ०प्र० लखनऊ	04/23	05/23	12/23				
57	C47	मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र उ०प्र० कानपुर	05/23	10/23	12/23				
58	C48	मुख्य वन संरक्षक पश्चिमी जोन उ०प्र० बरेली/रुहेलखण्ड	06/23	07/23					
59	C52	मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव (पूर्वी) गोंडा	04/23	05/23	10/23	03/24			
60	C58	निदेशक इटावा सफारी पार्क इटावा	07/23						

निम्नलिखित प्रभागों के मासिक लेखे 04 अथवा अधिक माहों में विलम्ब से प्राप्त हुए हैं।

क्रम सं०	कोड	प्रभाग का नाम
1	011	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग फतेहपुर
2	041	प्रभागीय वनाधिकारी अवध वन प्रभाग लखनऊ
3	043	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग उन्नाव
4	046	प्रभागीय वनाधिकारी उत्तर खीरी वन प्रभाग/उपनिदेशक (बफर जोन) दुधवा टाड़गर रिजर्व लखीमपुर खीरी
5	052	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बलिया
6	062	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मैनपुरी
7	064	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग एटा
8	065	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़
9	067	प्रभागीय वनाधिकारी हाथरस वन प्रभाग हाथरस
10	071	प्रभागीय वनाधिकारी हमीरपुर
11	072	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग ललितपुर
12	073	उप वन संरक्षक झाँसी वन प्रभाग झाँसी
13	114	प्रभागीय वनाधिकारी कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग बहराइच
14	153	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग देवरिया
15	154	प्रभागीय वनाधिकारी गोरखपुर वन प्रभाग गोरखपुर
16	221	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुरादाबाद
17	222	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर
18	224	प्रभागीय वनाधिकारी बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद
19	225	प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग अमरोहा
20	226	प्रभारी वनाधिकारी संभल
21	252	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग गाजियाबाद
22	253	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बुलंदशहर
23	258	प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर नोएडा
24	344	मुख्य वन संरक्षक/वन वर्धनिक विध्यक्षेत्र रामनगर वाराणसी
25	373	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग अम्बेडकरनगर
26	374	प्रभागीय वनाधिकारी गोंडा वन प्रभाग गोंडा
27	375	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग सुल्तानपुर
28	411	प्रभागीय वनाधिकारी मिर्जापुर वन प्रभाग मिर्जापुर
29	412	प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र
30	421	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग वाराणसी
31	452	वन संरक्षक/निदेशक कानपुर प्राणी उद्यान कानपुर
32	471	प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग मिर्जापुर
33	523	प्रभागीय वनाधिकारी सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग बलरामपुर
34	534	प्रभागीय वनाधिकारी शामली वन प्रभाग शामली

35	551	प्रभागीय वनाधिकारी संत कबीर नगर वन प्रभाग संत कबीर नगर
36	571	प्रभागीय वनाधिकारी कासगंज वन प्रभाग कासगंज
37	C04	मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी अवध क्षेत्र लखनऊ
38	C07	वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक बुन्देलखंड वृत्त झाँसी
39	C08	वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक वन एवं वन्य जीव बरेली वृत्त बरेली
40	C19	मुख्य वन संरक्षक कानपुर मण्डल कानपुर
41	C22	वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक मुरादाबाद वृत्त मुरादाबाद
42	C23	मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन उ०प्र० लखनऊ
43	C34	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान उ०प्र० कानपुर
44	C35	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक योजना एवं कृषि वानिकी उ०प्र० लखनऊ
45	C39	प्रभागीय निदेशक प्रशिक्षण सूचना रेपोर्टिंग लखनऊ
46	C40	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी लखनऊ
47	C41	मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर
48	C45	प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव उ०प्र० लखनऊ
49	C47	मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र उ०प्र० कानपुर
50	C52	मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव (पूर्वी) गोंडा

अनुलग्नक-3

वृत्त/प्रभाग के नाम जिनके द्वारा वर्ष 2023-24 के डी0सी0एल0 आँकड़ों का मिलान नहीं प्रेषित किया गया है-

क्रम सं०	प्रभाग का कोड	प्रभाग का नाम
1	13	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग प्रयागराज
2	62	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मैनपुरी
3	64	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग एटा
4	65	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़
5	67	प्रभागीय वनाधिकारी हाथरस
6	074	उप वन संरक्षक जालौन सामाजिक वानिकी प्रभाग उरई
7	156	निदेशक शहीद अशफाक उल्ला खाँ प्राणी उद्यान गोरखपुर
8	196	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग औरैया
9	226	प्रभागीय वनाधिकारी संभल वन प्रभाग संभल
10	344	मुख्य वन संरक्षक / वन वर्धनिक विन्ध्य क्षेत्र रामनगर वाराणसी
11	411	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग मिर्जापुर
12	413	उप वन संरक्षक / प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग रेनूकूट सोनभद्र
13	521	प्रभागीय वनाधिकारी सोहगीबरवा वन्य जीव प्रभाग महाराजगंज
14	551	प्रभागीय वनाधिकारी संत कबीर नगर वन प्रभाग संत कबीर नगर
15	571	प्रभागीय वनाधिकारी कासगंज वन प्रभाग कासगंज
16	C41	मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर

अनुलग्नक-4

वित्तीय वर्ष 2023-24 में मासिक रोकड़ लेखों में पायी गयी सामान्य प्रकार की आपत्तियाँ-

1	प्रभागीय वनाधिकारी कासगंज वन प्रभाग कासगंज	1- लेखा 4 दिन विलंब से प्राप्त कराया गया।
		2- मासिक लेखे के साथ ई-11ए, ई-13 संलग्न नहीं है।
		3- मासिक लेखा ई-मेल के माध्यम से प्राप्त है जबकि मूल लेखा प्रेषित नहीं है।
2	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग फर्रुखाबाद	1- मासिक लेखे के साथ ई-11, ई-11ए, ई-14 संलग्न नहीं है।
		2- प्रपत्र ई-13 में पूर्व अवशेष धनराशि का निस्तारण/समायोजन सुनिश्चित करें।
3	वन संरक्षक क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मेरठ क्षेत्र मेरठ	1- मासिक लेखे के साथ ई-11, ई-11ए, ई-13, ई-14 संलग्न नहीं है।
4	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा	1- मासिक लेखे के साथ ई-13 संलग्न नहीं है।
		2- सी0टी0आर0 एवं सी0टी0आई0 संलग्न नहीं पाये गये।
5	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग प्रयागराज	1- चालान की छायाप्रति पर बैंक/कोषागार की मोहर स्पष्ट प्रदर्शित नहीं हो रही है।
		2- मासिक लेखे के साथ ई-11 संलग्न नहीं है।
		3- सी0टी0आर0 एवं सी0टी0आई0 संलग्न नहीं पाये गये।
		4- मासिक लेखे के साथ ई-11ए , एजी वाउचर नम्बर 22 संलग्न नहीं है।
6	प्रभागीय वनाधिकारी हाथरस वन प्रभाग हाथरस	1- मूल लेखा दो दिन विलम्ब से प्राप्त कराया गया है।
		2- मासिक लेखे के साथ ई-11ए संलग्न नहीं है।
		3- सी0टी0आर0 एवं सी0टी0आई0 संलग्न नहीं पाये गये।
7	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ	1- मासिक लेखे के साथ ई-11, ई-11ए एवं ई-14 संलग्न नहीं है।
		2- सी0टी0आर0 एवं सी0टी0आई0 संलग्न नहीं पाये गये।
		3- प्राप्त चालानों की छायाप्रति प्रमाणित नहीं पायी गयी।

8	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मैनपुरी	1- मूल लेखा आठ दिन विलम्ब से प्राप्त कराया गया है।
		2- प्रपत्र ई-7 कैश अकाउन्ट पर लेखाशीर्ष का वर्गीकरण अपूर्ण अंकित किया गया है।
		3- मासिक लेखे के साथ ई-11 एवं ई-14 संलग्न नहीं है।
		4- सी0टी0आर0 एवं सी0टी0आई0 संलग्न नहीं पाये गये।
9	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी एवं वन्य जीव प्रभाग प्रतापगढ़	1- मासिक लेखे के साथ ई-11 एवं ई-14 संलग्न नहीं है।
		2- वर्गीकृत सार में एजी प्रमाणक संख्या अंकित नहीं की गयी है।
		3- सी0टी0आर0 एवं सी0टी0आई0 संलग्न नहीं पाये गये।
10	मुख्य वन संरक्षक एवं फील्ड डायरेक्टर दुधवा टाईगर रिजर्व लखीमपुर खीरी	1- मासिक लेखे के साथ ई-6 एवं ई-11 संलग्न नहीं है।
		2- सी0टी0आर0 एवं सी0टी0आई0 संलग्न नहीं पाये गये।
11	प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्यजीव प्रभाग मिर्जापुर	1- मूल लेखा दो दिन विलम्ब से प्राप्त कराया गया है।
		2-मासिक लेखे के साथ ई-6, ई-11, ई-11ए एवं ई-13 संलग्न नहीं है।
		3- सी0टी0आर0 एवं सी0टी0आई0 संलग्न नहीं पाये गये।
12	प्रभारी निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग फिरोजाबाद	1- प्रपत्र ई-7 कैश अकाउन्ट पर लेखाशीर्ष वर्गीकरण अपूर्ण अंकित किया गया है।
		2- मासिक लेखे के साथ ई-11, एवं ई-14 संलग्न नहीं है।
		3- सी0टी0आर0 एवं सी0टी0आई0 संलग्न नहीं पाये गये।
13	प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र	1- प्रपत्र ई-7 कैश अकाउन्ट पर लेखाशीर्ष वर्गीकरण अपूर्ण अंकित किया गया है।
		2- मासिक लेखे के साथ प्रपत्र ई-14 संलग्न नहीं है।
		3- सी0टी0आर0 एवं सी0टी0आई0 संलग्न नहीं पाये गये।
14	मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर	1- मूल लेखा चार दिन विलम्ब से प्राप्त कराया गया है।
		2- मासिक लेखे के साथ प्रपत्र ई-6 एवं ई-11, ई-13 एवं ई-14 संलग्न नहीं है।
		3- मासिक लेखा ई-मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ किन्तु मूल

		लेखा समस्त प्रमाणकों सहित इस कार्यालय में अप्राप्त है।
		4- एफ डी मद के अन्तर्गत हुए व्यय प्रपत्र पर फार्म संख्या अंकित नहीं पायी गयी।
15	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मथुरा	1- मूल लेखा चार दिन विलम्ब से प्राप्त कराया गया है। 2- प्रपत्र ई-7 कैश अकाउन्ट पर लेखाशीर्ष वर्गीकरण अपूर्ण अंकित किया गया है। 3- मासिक लेखे के साथ प्रपत्र ई-11 एवं ई-14 संलग्न नहीं है। 4- सी0टी0आर0 एवं सी0टी0आई0 संलग्न नहीं पाये गये।
16	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग उन्नाव	1- प्रपत्र ई-7 कैश अकाउन्ट पर लेखाशीर्ष वर्गीकरण अपूर्ण अंकित किया गया है। 2- मासिक लेखे के साथ ई-13 संलग्न नहीं है। 3- सी0टी0आर0 एवं सी0टी0आई0 संलग्न नहीं पाये गये।
17	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग रायबरेली	1- प्रपत्र ई-7 कैश अकाउन्ट पर लेखाशीर्ष वर्गीकरण अपूर्ण अंकित किया गया है। 2- मासिक लेखे के साथ प्रपत्र ई-13 एवं ई-14 संलग्न नहीं है। 3- प्रपत्रों पर फार्म संख्या अंकित नहीं पायी गयी। 4- सी0टी0आर0 एवं सी0टी0आई0 संलग्न नहीं पाये गये।
18	प्रभागीय वनाधिकारी कौशाम्बी वन प्रभाग कौशाम्बी	1- प्रपत्र ई-7 कैश अकाउन्ट पर लेखाशीर्ष वर्गीकरण अपूर्ण अंकित किया गया है। 2- मासिक लेखे के साथ प्रपत्र ई-13 एवं ई-14 संलग्न नहीं है। 3- प्रपत्रों पर फार्म संख्या अंकित नहीं पायी गयी। 4- सी0टी0आर0 एवं सी0टी0आई0 संलग्न नहीं पाये गये।
19	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग आजमगढ़	1- प्रपत्र ई-7 कैश अकाउन्ट पर लेखाशीर्ष वर्गीकरण त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण अंकित किया गया है। 2- मासिक लेखे के साथ प्रपत्र ई-11 एवं ई-14 संलग्न नहीं है।

		3- सी0टी0आर0 अप्राप्त है।
		4- लेखाशीर्ष 8443 (वन जमा भुगतान) प्रपत्र पर फार्म नम्बर अंकित नहीं है।
20	उप वन संरक्षक जालौन सामाजिक वानिकी प्रभाग उरई	1- मासिक लेखे के साथ प्रपत्र ई-11 संलग्न नहीं है। 2- सी0टी0आर0 एवं सी0टी0आई0 की छायाप्रति प्रमाणित नहीं है।
21	प्रभागीय वनाधिकारी वन्य जीव प्रभाग शाहजहाँपुर	1- चालान की छायाप्रति प्रमाणित नहीं है। 2- सी0टी0आर0 एवं सी0टी0आई0 संलग्न नहीं पाये गये।
22	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मऊ	1- प्रपत्र ई-7 कैश अकाउन्ट पर लेखाशीर्ष वर्गीकरण त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है। 2- मासिक लेखे के साथ प्रपत्र ई-14 संलग्न नहीं है। 3- चालान की छायाप्रति प्रमाणित नहीं है। 4- सी0टी0आर0 एवं सी0टी0आई0 संलग्न नहीं पाये गये।
23	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग एटा	1- प्रपत्र ई-7 कैश अकाउन्ट पर लेखाशीर्ष वर्गीकरण अपूर्ण अंकित किया गया है। 2- मासिक लेखे के साथ प्रपत्र ई-11ए और उसके मूल वाउचर संलग्न नहीं पाये गये। 3- सी0टी0आर0 एवं सी0टी0आई0 संलग्न नहीं पाये गये।
24	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग फतेहपुर	1- प्रपत्र ई-7 कैश अकाउन्ट पर लेखाशीर्ष वर्गीकरण अपूर्ण अंकित किया गया है। 2- मासिक लेखे के साथ प्रपत्र ई-11 एवं ई-14 संलग्न नहीं है। 3- वर्गीकृत सार में ए0जी0 प्रमाणक संख्या अंकित नहीं किये गये हैं। 4- वर्गीकृत सार में सारांश का विवरण अंकित नहीं किया गया है। 5- सी0टी0आर0 एवं सी0टी0आई0 संलग्न नहीं पाये गये। 6- मासिक लेखे के साथ संलग्न चालान की छायाप्रति प्रमाणित नहीं किया गया है।

25	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग ललितपुर	1- मासिक लेखे के साथ प्रपत्र ई-11 एवं ई-14 संलग्न नहीं है।
		2- वर्गीकृत सार में सारांश का विवरण अंकित नहीं किया गया है।
		3- सी0टी0आर0 एवं सी0टी0आई0 संलग्न नहीं पाये गये।
		4- मासिक लेखे के साथ चालान की छायाप्रति संलग्न नहीं पायी गयी।

निम्नलिखित प्रभागों के 8443-00-109 में माह 03/2024 में अन्तिम अवशेष धनराशि
ऋणात्मक दर्ज पायी गयी है :-

क्रम सं०	कोड	प्रभागों के नाम	अन्तिम अवशेष
1	FRD-063	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मथुरा	-37961405.00
2	FRD-066	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग फिरोजाबाद	-2784969.00
3	FRD-076	प्रभागीय वनाधिकारी महोबा वन प्रभाग महोबा	-23421059.00
4	FRD-077	उपनिदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग चित्रकूट	-2116763.00
5	FRD-114	प्रभागीय वनाधिकारी कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग बहराइच	-5269517.00
6	FRD-193	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग फरुखाबाद	-667230.58
7	FRD-195	प्रभारी वनाधिकारी कन्नौज वन प्रभाग कन्नौज	-714379.00
8	FRD-224	प्रभागीय वनाधिकारी बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद	-2250643.00
9	FRD-241	प्रभागीय वनाधिकारी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान कानपुर	-3595669.00
10	FRD-375	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग सुल्तानपुर	-2456628.00
11	FRD-423	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग जौनपुर	-35746766.00
12	FRD-451	वन संरक्षक लुप्तप्राय परियोजना उ०प्र० लखनऊ	-15057767.00
13	FRD-472	उप वन संरक्षक राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी प्रोजेक्ट आगरा	-31018014.00
14	FRD-551	प्रभागीय वनाधिकारी संत कबीर नगर वन प्रभाग संत कबीर नगर	-9159787.00
15	FRD-C08	वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक वन एवं वन्य जीव बरेली वृत्त बरेली	-7000.00
16	FRD-C15	मुख्य वन संरक्षक गोरखपुर मण्डल गोरखपुर	-2198374.00
17	FRD-C23	मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन उ०प्र० लखनऊ	-2183825.00
18	FRD-C27	प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ०प्र० लखनऊ	-599921.00
19	FRD-C35	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक योजना एवं कृषि वानिकी उ०प्र० लखनऊ	-9962726.00
20	FRD-C40	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी लखनऊ	-2194495.00
21	FRD-C45	प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव उ०प्र० लखनऊ	-26000.00
22	FRD-C47	मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र उ०प्र० कानपुर	-233000.00
23	FRD-C58	निदेशक इटावा सफारी पार्क इटावा	-2587587.00
			-192213524.58

अनुलग्नक :- 6

निम्नलिखित प्रभागों के 8550-00-101 में माह 03/2024 में अन्तिम अवशेष धनराशि ऋणात्मक दर्ज पायी गयी है :-

क्रम सं०	कोड	प्रभाग का नाम	धनराशि
1	11	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग फतेहपुर	-681,737.00
2	12	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग प्रतापगढ़	-37,316.00
3	13	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग प्रयागराज	-2,713,376.71
4	14	प्रभागीय वनाधिकारी कौशांबी वन प्रभाग कौशांबी	-569,992.00
5	41	प्रभागीय वनाधिकारी अवध वन प्रभाग लखनऊ	-22,331,544.00
6	43	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग उन्नाव	-0.51
7	47	प्रभारी वनाधिकारी दक्षिण खीरी वन प्रभाग लखीमपुर खीरी	-717,735.00
8	52	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बलिया	-4,511,276.85
9	53	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मऊ	-18,952,328.00
10	61	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा	-2,402,223.58
11	63	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मथुरा	-7,789,561.00
12	65	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़	-3,095,648.14
13	75	प्रभागीय वनाधिकारी बांदा	-46,408,396.36
14	76	प्रभागीय वनाधिकारी महोबा वन प्रभाग महोबा	-154,711,683.70
15	77	उपनिदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग चित्रकूट	-50,624,314.54
16	81	प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग बरेली	-3,753,029.00
17	82	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूं	-109,144.00
18	114	प्रभागीय वनाधिकारी कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग बहराइच	-5,622,806.68
19	191	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग कानपुर	-212,666.29
20	194	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग कानपुर देहात	-104,998.67
21	222	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर	-1,936,802.00
22	223	प्रभागीय निदेशक सामाजिक प्रभाग रामपुर	-4,060,538.55
23	224	प्रभागीय वनाधिकारी बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद	-93,644.00
24	374	प्रभागीय वनाधिकारी गोंडा वन प्रभाग गोंडा	-64,141.33
25	375	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग सुल्तानपुर	-333,393.44
26	377	प्रभागीय वनाधिकारी श्रावस्ती वन प्रभाग श्रावस्ती	-6,153,470.00
27	412	प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र	-10,120,096.64
28	414	प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग ओबरा सोनभद्र	-3,897,833.35
29	423	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग जौनपुर	-1,069,750.00
30	551	प्रभागीय वनाधिकारी संत कबीर नगर वन प्रभाग संत कबीर नगर	-9,284,432.00
31	C08	वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक वन एवं वन्य जीव बरेली वृत्त बरेली	-312,116.00

32	C22	वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक मुरादाबाद वृत्त मुरादाबाद	-19,860.46
33	C23	मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन उ०प्र० लखनऊ	-59,869.92
34	C37	मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक सरयू क्षेत्र फैजाबाद	-12,000.00
35	C40	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी लखनऊ	-940.00
36	C42	वन संरक्षक वाराणसी वृत्त वाराणसी	-24.51
37	C52	मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव (पूर्वी) गोंडा	-42,228.00
योग			-362,810,918.23

अनुलग्नक-7

31/03/2024 तक अन्तिम भुगतान प्रकरण के ऋणात्मक धनराशि की सूची -

क्रम संख्या	नाम	लेखा संख्या	(-) की धनराशि	अन्तिम कार्यालय का नाम	ऋणात्मक धनराशि आने का कारण	कृत कार्यवाही
1	के0सी0 भटनागर	एफ0यू0 2160	26320	प्र0नि0सा0वा0, बुलन्दशहर	वर्ष 78-79 में प्रा. अवशेष त्रुटिपूर्ण होना तथा 85-86 में 12000/- का आहरण न घटाया जाना।	दिनांक 05.03.1998, 03.11.2017 ; 05.01.2022 एवं 16.11.2023 तक विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।
2	रामानन्द त्यागी	एफ0यू0 2895	6455	प्र0 नि0सा0वा0, गाजियाबाद	5000/- का आहरण माह 02/1978 में न घटाया जाना।	दिनांक 24.3.1993 , 03.11.2017 , 29.12.2021 एवं 29.11.2023 तक विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।
3	स्व0 गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव	एफ0यू0 2916	43717	प्र0वनाधिकारी, हरदोई	वर्ष 1987-88 में 31000/- का आहरण घटाए बिना 90% भुगतान विभाग द्वारा किया जाना।	दिनांक 04.7.1994 , 03.11.2017 , 05.01.2022 एवं 16.11.2023 तक विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।
4	बंश बहादुर सिंह	एफ0यू0 3035	24043	प्र0वनाधिकारी, प्रतापगढ	10000/- का आहरण माह 03/1986 में न घटाया जाना।	दिनांक 29.2.1996 से दिनांक 03.11.2017 एवं 16.11.2023 तक विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।
5	उमा शंकर लाल श्रीवास्तव	एफ0यू0 3096	5006	प्र0वनाधिकारी, हरदोई	वर्ष 88-89 की लेखापर्ची के आधार पर 90% का भुगतान किया जाना जबकि वर्ष 1988-89 में 9000/- तथा वर्ष 1984-85 में 2500/- के आहरण लुप्त थे।	दिनांक 05.07.1994, 03.11.2017 ; 06.01.2022 एवं 16.11.2023 तक विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।

6	स्व० आगा मोहम्मद नाजिम	एफ०यू० 3560	3299	प्र० वनाधिकारी, उत्तरी गोंडा	1977-78 में 1500/- तथा 1985-86 में 2000/- के आहरण न घटाया जाना।	दिनांक 27.3.1993 , 03.11.2017 , 29.12.2021 एवं 21.11.2023 तक विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।
7	प्रहलाद सिंह	एफ०यू० 3562	3267	प्र० वनाधिकारी, दक्षिणी गोरखपुर	माह 08/1974 में 1000/- का आहरण न घटाया जाना।	दिनांक 30.11.1992 से दिनांक 10.04.2017 तक विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये। कोर्ट केस
8	सत्य नारायण सिंह	एफ०यू० 4149	13258	प्र० वनाधिकारी, ओबरा	1978-79 में 1000/- का आहरण न घटाया जाना।	दिनांक 22.4.1991 , 03.11.2017 , 06.01.2022 एवं 16.11.2023 तक विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।
9	प्रेम नारायण तिवारी	एफ०यू० 4314	2382	प्र० नि० सा० वा० कानपुर	1985-86 में प्रा. अवशेष 7418/- के स्थान पर त्रुटिपूर्ण प्रा. अवशेष 10369/- लेकर 90% भुगतान किया जाना।	दिनांक 10.07.1991 , 03.11.2017 , 05.01.2022 एवं 16.11.2023 तक विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।
10	ओम प्रकाश	एफ०यू० 6459	16854	प्र० नि० सा० वा० मथुरा	3744/- का आहरण अंकित किए बिना 90% का भुगतान किया जाना।	
11	रघुवीर सिंह	एफ०यू० 7167	14092	प्र० नि० सा० वा० मुरादाबाद	वर्ष 1981-82 में अंतिम अवशेष 1036/- के विरुद्ध 3000/- का आहरण जिसके कारण 90% में अधिक भुगतान किया जाना।	दिनांक 05.01.1994 से दिनांक 03.11.2017 एवं 16.11.2023 तक विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।
12	वी०सी० गुजराल	एफ०यू० 7173	7084	प्र० वनाधिकारी, झांसी	इस कार्यालय में आहरण 1500/- स्वीकृत आदेश सं. 4383(1)-4(2) दिनांक 30.01.76 लुप्त होना।	

13	गोपाल त्रिपाठी	एफ0यू0 7625	7198	प्र0वनाधिकारी, रेनुकूट	वार्षिक लेखाबन्दी में विभाग द्वारा अधिक धनराशि अंकित किया जाना।	
14	स्व0 ए0एन0सिंह	एफ0यू0 7629	7312	प्र0वनाधिकारी, सोनभद्र	13000/- का आहरण स्वीकृत किन्तु अभिदाता के खाते में इतनी धनराशि उपलब्ध न होना।	
15	मो0 नकी	एफ0यू0 8817	13564	प्र0वनाधिकारी, पूर्वी बहराइच	दि. 12.03.84 को 6350/- का आहरण स्वीकृत जिसको घटाने पर पासबुक में धनराशि ऋणात्मक आ गयी।	दिनांक 23.3.1993 से दिनांक 03.11.2017 एवं 29.11.2023 तक विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।
16	राम जनम सिंह	एफ0यू0 9106	4289	प्र0वनाधिकारी, ओबरा	वर्ष 81-82 में 2000/- का आहरण न घटाया जाना।	दिनांक 22.3.1993 से दिनांक 03.11.2017 एवं 16.11.2023 तक विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये
17	राम सनेही	एफ0यू0 12552	7532	प्र0 नि0 सा0 वा0 मथुरा	माह 05/1995 में 42345/- के स्थान पर 48939/- का भुगतान 90% के रूप में किया जाना।	दिनांक 29.5.1995 , 03.11.2017, 06.01.2022 एवं 16.11.2023 तक विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।
18	कुंज बिहारी लाल	एफ0यू0 14515	12175	प्र0वनाधिकारी, रेनुकूट	माह 09/1997 में उपलब्ध धनराशि 70967/- के स्थान पर 83142/- का भुगतान 90% के रूप में किया जाना।	दिनांक 17.07.2001 , 03.11.2017 , 29.12.2021 एवं 16.11.2023 तक विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।

19	राम हरख	एफ0यू0 11435	62174	एन0सी0एस0 पी0 आगरा	वर्ष 1988-89 में 3000/- का आहरण न घटाया जाना तथा 90% भुगतान बिना मिलान के किया जाना।	दिनांक 20.08.2014 से दिनांक 03.11.2017 एवं 16.11.2023 तक विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।
20	सत्यपाल सिंह	एफ0यू0 20938	70138	प्र0वनाधिकारी, शामली	वित्तीय वर्ष 2021-22 के माह 11/2021 के आहरण रू0 1 लाख को लेखाबंदी में घटाये बिना 90% धनराशि का भुगतान किया जाना।	16 अगस्त 2023 को पत्र भेजा गया।
योग			350159			

अनुलग्नक-8

वन विभाग का वर्ष 2018-19 से वर्ष 2023-24 तक का व्यय निम्न प्रकार है-

अनु0 संख्या	मुख्य शीर्ष	2018-19			2019-20		
		बजट धनराशि	व्यय	अधिक (+)/बचत (-)	बजट धनराशि	व्यय	अधिक (+)/बचत (-)
10	2406 02 112	398,079,000.00	388,887,750.00	(-)9191250.00	477,714,000.00	436,277,655.00	(-)41436345.00
	4406 02 112	9,020,000.00	3,620,000.00	(-)5400000.00	23,735,000.00	23,735,000.00	0.00
60	2406 01 001	7,592,175,000.00	5,702,396,165.00	(-)1889778835.00	8,124,506,000.00	5,836,038,251.00	(-)2288467749.00
	2406 01 070	10,000,000.00	9,806,780.00	(-)193220.00	10,000,000.00	9,998,910.00	1,090.00
	2406 01 101	4,500,000.00	4,889,597.00	(+)389597.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
	2406 01 102	15,500,000.00	4,836,296.00	(-)10663704.00	126,361,000.00	4,852,658.00	(-)121508342.00
	2406 01 105	1,000,000.00	982,172.00	(-)17828.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
	2406 01 800	18,649,000.00	15,596,470.00	(-)3052530.00	23,617,000.00	19,831,306.00	(-)3785694.00
	2406 02 110	139,232,000.00	211,554,650.00	(+)72322650.00	274,765,000.00	256,676,667.00	(-)18088333.00
	2406 02 111	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	71,000,000.00	83,500,000.00	(+)12500000.00
	2406 04 103				2,000,000,000.00	623,154,301.00	(-)1376845699.00
	2407 60 800	80,440,000.00	51,527,856.01	(-)28912143.99	86,580,000.00	46,939,784.00	(-)39640216.00
	4406 01 101	3,500,000.00	2,681,549.00	(-)818451.00	3,500,000.00	3,499,699.00	(-)301.00
	4406 01 102	1,657,496,000.00	1,622,830,991.00	(-)34665009.00	7,185,587,000.00	5,742,105,427.00	(-)1443481573.00
	4406 01 800	53,721,000.00	22,547,000.00	(-)31174000.00	44,697,000.00	30,536,336.00	(-)14160664.00
	4406 02 110	134,332,000.00	120,610,580.00	(-)13721420.00	333,811,000.00	171,893,636.00	(-)161917364.00
81	4406 02 111	255,869,000.00	255,045,000.00	(-)824000.00	1,004,000,000.00	1,004,000,000.00	0.00
	4406 01 796	5,975,000.00	5,795,908.00	(-)179092.00	17,432,000.00	6,109,030.00	(-)11322970.00
83	2406 01 796	268,000.00	44,800.00	(-)223200.00	8,668,000.00	8,000.00	(-)8660000.00
	4406 01 789	164,267,000.00	154,386,127.00	(-) 9880873.00	554,989,000.00	164,807,961.00	(-)390181039.00
	2406 01 789				24,805,000.00	382,705.00	(-)24422295.00
	योग	10,614,023,000.00	8,648,039,691.01	-1,965,983,308.99	20,401,267,000.00	14,469,847,326.00	-5,931,419,674.00

अनु० संख्या	मुख्य शीर्ष	2020-21			2021-22		
		बजट धनराशि	व्यय	अधिक (+)/बचत (-)	बजट धनराशि	व्यय	अधिक (+)/बचत (-)
10	2406 02 112	540,875,000.00	470,155,748.00	(-)70719252.00	560,231,000.00	487,571,848.00	(-)72659152.00
	4406 02 112	9,020,000.00	9,000,000.00	(-)20000.00	9,020,000.00	0.00	(-)9020000.00
60	2406 01 001	8,377,441,000.00	5,221,040,545.00	(-)3156400455.00	8,635,559,000.00	5,420,482,719.00	(-)3215076281.00
	2406 01 070	10,000,000.00	9,973,674.00	(-)26326.00	10,000,000.00	9,868,126.00	(-)131874.00
	2406 01 101	16,772,000.00	17,589,829.00	(+) 817829.00	4,500,000.00	4,499,970.00	(-)30.00
	2406 01 102	20,098,000.00	5,759,581.00	(-)14338419.00	16,476,000.00	5,459,473.00	(-)11016527.00
	2406 01 105	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	999,344.00	(-)656.00
	2406 01 800	25,199,000.00	22,079,190.00	(-)3119810.00	36,880,000.00	7,738,007.00	(-)29141993.00
	2406 02 110	392,982,000.00	256,996,831.00	(-)135985169.00	465,301,000.00	221,621,631.00	(-)243679369.00
	2406 02 111	71,200,000.00	105,613,987.00	(+) 34413987.00	95,200,000.00	143,057,765.00	(+) 47857765.00
	2406 04 103	2,751,650,000.00	2,491,135,117.00	(-)260514883.00	6,000,000,000.00	3,589,041,436.00	(-)2410958564.00
	2407 60 800	90,120,000.00	49,699,019.00	(-)40420981.00	93,235,000.00	50,506,257.00	(-)42728743.00
	4406 01 101	3,500,000.00	3,499,989.00	(-)11.00	3,500,000.00	3,329,958.00	(-)170042.00
	4406 01 102	3,834,869,000.00	3,760,479,121.00	(-)74389879.00	5,281,608,000.00	5,335,571,183.00	(+)53963183.00
	4406 01 800	45,970,000.00	9,999,375.00	(-)35970625.00	29,025,000.00	25,000,000.00	(-)4025000.00
	4406 02 110	382,696,000.00	78,544,573.00	(-)304151427.00	360,752,000.00	32,595,500.00	(-)328156500.00
	4406 02 111	404,000,000.00	283,063,264.00	(-)120936736.00	12,689,000.00	12,689,000.00	0.00
81	4406 01 796	7,036,000.00	5,801,566.00	(-)1234434.00	8,651,000.00	6,634,676.00	(-)2016324.00
	2406 01 796	88,000.00	6,954.00	(-)81046.00	180,000.00	14,000.00	(-)166000.00
83	4406 01 789	277,436,000.00	88,337,258.00	(-)189098742.00	198,452,000.00	177,264,039.00	(-)21187961.00
	2406 01 789	2,450,000.00	265,086.00	(-)2184914.00	1,961,000.00	503,828.00	(-)1457172.00
	योग	17,264,402,000.00	12,890,040,707.00	(-)4,374,361,293.00	21,824,220,000.00	15,534,448,760.00	(-)6,289,771,240.00

अनु० संख्या	मुख्य शीर्ष	2022-23			2023-24		
		बजट धनराशि	व्यय	अधिक (+)/बचत (-)	बजट धनराशि	व्यय	अधिक (+)/बचत (-)
10	2406 02 112	590,314,000.00	514,333,395.00	(-)75,980,605.00	622,838,000.00	512,785,509.00	-110052491.00
	4406 02 112	9,020,000.00	9,020,000.00	0.00	9,020,000.00	9,020,000.00	0.00
60	2406 01 001	8,658,102,000.00	5,761,963,592.00	(-)2,896,138,408.00	8173590000.00	6,154,197,163.00	-2019392837
	2406 01 070	160,000,000.00	119,663,700.00	(-)40,336,300.00	160,000,000.00	159,964,744.00	-35256.00
	2406 01 101	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	8,000,000.00	7,800,000.00	-200000.00
	2406 01 102	12,501,000.00	984,954.00	(-)11,516,046.00	9,915,000.00	3,512,000.00	-6403000.00
	2406 01 105	1,000,000.00	978,696.00	(-)21,304.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
	2406 01 800	67,023,000.00	7,817,545.00	(-)59,205,455.00	66,143,000.00	65,966,926.00	-176074.00
	2406 02 110	500,522,000.00	371,163,092.00	(-)129,358,908.00	610,817,000.00	297,189,745.00	-313627255.00
	2406 02 111	595,830,000.00	383,659,384.00	(-)212,170,616.00	139,700,000.00	143,640,664.00	3940664.00
	2406 04 103	6,000,000,000.00	2,317,442,318.00	(-)3,682,557,682.00	2,503,750,000.00	1,668,389,332.00	-835360668.00
	2407 60 800	99,615,000.00	57,449,486.00	(-)42,165,514.00	73,185,000.00	48,805,815.00	-24379185.00
	4406 01 101	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
	4406 01 102	9,291,740,000.00	8,733,124,386.00	(-)558,615,614.00	9,524,449,000.00	8,553,032,557.00	-971416443.00
	4406 01 800	78,405,000.00	62,499,270.00	(-)15,905,730.00	133,178,000.00	51,308,363.00	-81869637.00
	4406 02 110	404,265,000.00	82,358,167.00	(-)321,906,833.00	736,779,000.00	71,526,714.00	-665252286.00
	4406 02 111	132,241,000.00	123,128,000.00	(-)9,113,000.00	1,000,000.00	21,000,000.00	20000000.00
81	4406 01 796	25,757,000.00	23,416,956.00	(-)2,340,044.00	30,461,000.00	28,150,000.00	-2311000.00
	2406 01 796	176,000.00	0.00	(-)176,000.00	161000.00	0.00	-161000.00
83	4406 01 789	207,633,000.00	150,088,572.00	(-)57,544,428.00	346,694,000.00	313,542,719.00	-33151281.00
	2406 01 789	2,044,000.00	0.00	(-)2,044,000.00	894000.00	141000.00	-753000.00
	योग	26,844,188,000.00.00	18,727,091,513.00.00	(-)8,117,096,487.00	23,157,574,000.00	18,116,973,251.00	-5,040,600,749.00

©महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय
उत्तर प्रदेश – प्रयागराज

<https://cag.gov.in/ae/allahabad-ii/en>